न्यायालय सहायक कलेक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी सांचोर

पीठासीन अधिकारी – श्री भूपेन्द्र कुमार यादव, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः– 05/2012 प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 आर.एल.आर. एक्ट 1956

अनवानः–

प्रार्थीः–

भगवाना पुत्र मेवाजी कौम रेबारी निवासी लूणियासर तहसील सांचोर जिला जालोर

बनाम

अप्रार्थी–

राज. सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सांचोर

उपस्थिति –

1. प्रार्थी अधिवक्ता–श्री सदराम विश्नोई
2. राजपैरोकार–तहसीलदार सांचोर

निर्णय दिनांक 16.09.2020

प्रार्थी द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 इस प्रकार पेश किया कि सरहद मौजा लूणियासर में मेरे खातेदारी का खेत पुराने खसरा नं. 126 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा आया हुआ है जो एक ही नम्बर तथा एक ही चक में था और वर्तमान में भी पुरा खेत व पूरा रकबा एक ही चक में है। पुराने खेत खसरा नं. 126 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा का नये सर्वे के दौरान नये सृजित नम्बर 2 खसरे दर्ज कर दिये जबकि पूरे खेत का मेरा एक ही चक है। सर्वे अधिकारियों ने मेरे खेत के दो भाग कर नये नम्बर 424 रकबा 0.06 हेक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता मेरी खातेदारी में दर्ज कर दिया व खसरा नं. 425 रकबा 0.38 हेक्टेयर खातेदारी में बंजड दर्ज कर दिया जबकि यह भूमि एक चक में तीन बीघा 6 बीस्वा मेरे कब्जेकाश्त में हैं जिसकी उत्तरी पश्चिमी मार्ग पर कोई रास्ता नहीं हैं जबकि मेरे खातेदारी खेत में गलत गैरमुमकिन रास्ता दर्शाया गया है जो राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज कर दिया है जो काबिल अपास्त है। मेरे खातेदारी खेत खसरा नं. 424 रकबा 0.06 हेक्टेयर भूमि गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दी। जबकि सर्वे अधिकारियों को किस्म परिवर्तन करने का कोई हक नहीं हैं। गैर मुमकिन रास्ते को हटाया जाकर मेरे खातेदारी के खसरा नं. 425 के साथ मिलाया जावें। अतः श्रीमान से निवेदन हैं कि मेरे पुराने खसरा नं. का किस्म परिवर्तन कर नये खसरा नं. 424 रकबा 0.06 हेक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया गया है जिसे खसरा नं. 425 की किस्म के साथ मिलाया जाकर पुराने रकबे के अनुसार खसरा नं. 425 रकबा 0.53 हेक्टेयर दर्ज किया जाने का आदेश प्रदान करावें। प्रार्थना पत्र के साथ निम्न दस्तावेज पेश किये गयेः–

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.21 17:06:10 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सांचोर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचोर)

1. नकल खतौनी (जमाबंदी) 1.9.1993 से 31.8.2013 खाता संख्या 199 ग्राम लूणियासर सांचोर
2. नकल जमाबंदी खाता 115 संवत् 2055 से 2058 ग्राम लूणियासर
3. नकल जमाबंदी खाता संख्या 66 संवत् 2042 से 2045 ग्राम लूणियासर
4. नक्शा किश्तवार
5. नकल जमाबंदी खाता संख्या संवत् 2067 से 2070
6. मिलान क्षेत्रफल

तलबी अप्रार्थी जरिये नोटिस की गई। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर जवाब इस प्रकार पेश किया कि प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 1. आंशिक स्वीकार है। पुराने खसरा नं. 126 रकबा 3 बीघा 6 बीस्वा एक चक में था। वर्तमान में एक चक में नहीं है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 2 अस्वीकार है। द्वितीय भू प्रबन्ध के सर्वे के दौरान मौके पर पाई गई स्थिति को मौके पर रास्ता चलता था तथा वर्तमान में भी मौजूद है। प्रार्थना पत्र का अवतरण संख्या 3 अस्वीकार है। भू प्रबन्ध अधिकारियों द्वारा मौके की स्थिति को दर्शाया गया है। प्रार्थना पत्रों के अवतरणों के अनुसार ये प्रकरण रेकर्ड दुरूस्ती का नहीं है। धारा 136 आर.एल.आर. एक्ट के अनुसार अभी लिखित में लिपिकीय त्रुटि को सुधारने का निर्देश है। नक्शा ट्रेस में लिपिकीय त्रुटि न होकर भू प्रबन्ध अधिकारियों ने मौके की स्थिति को दर्शाया है। खसरा नं. 424 प्रार्थी की खातेदारी में है तथा खसरा नं. 423 किस्म गैर मुमकिन रास्ता जो धर्मा पुत्र हेमा वागाराम, दोलाराम, पिसरान खेता कलबी की खातेदारी है। इस प्रकार खसरा नं. 423 के स्थान पर सर्वे से पहले रास्ता चलता था। इसे दर्ज किया गया है। रास्ता करीबन 30 वर्ष से चलने से सुखाचार का अधिकार उत्पन्न हो जाते है। इस अधिकार से आम लोगो को वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। अतः प्रकरण धारा 136 में निस्तारण योग्य नहीं है। इसलिए खारिज फरमावें। अप्रार्थी द्वारा जवाब के साथ निम्न दस्तावेज पेश कियेः—

1. मिलान क्षेत्रफल
2. नक्शा किश्तवार
3. नकल जमाबंदी खाता संख्या 1 संवत् 2073 से 2077
4. नकल जमाबंदी खाता संख्या 1 संवत् 2042 से 2045
5. नकल जमाबदी खाता संख्या 82 संवत् 2063 से 2066

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट हैं कि हाल खसरा नं. 424 एवं 425 साविक खसरा नं. 126 से बने है। खसरा नं. 126 जमाबंदी, संवत् 2042 से 2045 के अनुसार मेवा, पांचिया, राजा पिसरान धूडा की खातेदारी में दर्ज था तथा सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान खसरा नं. 126 से दो नये खसरा नम्बर क्रमशः 424 रकबा 0.06 हेक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता तथा 425 रकबा 0.38 हेक्टेयर बंजड बने जो खतौनी 1.9.93 से 31.8.2013 के अनुसार मेवा वल्द धूडा की खातेदारी में दर्ज है।

जवाब तहसीलदार के अनुसार खसरा नं. 424 गैर मुमकिन रास्ता दर्ज हैं जो सेटलमेंट से पूर्व से चलता था। रास्ता करीबन 30 वर्ष से अधिक समय से चलने से इसमें सुखाचार के अधिकार उत्पन्न हो जाते हैं एवं प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम के तहत निस्तारण योग्य नहीं है।

प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट हैं क सेटलमेंट विभाग द्वारा सेटलमेंट ऑपरेशन के दौरान प्रार्थी की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 126 से नया नम्बर 424 सृजित कर उसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर दिया जबकि भू प्रबन्ध अधिकारियों को यह शक्ति नहीं हैं कि वे मूल प्रविष्टियों को खारिज कर नये इन्द्राज कर देवें।

1. उदयलाल व अन्य बनाम सरकार जरिये तहसीलदार गिर्वा 2013 RBJ 83
2. मु0 नारायणी व अन्य बनाम जगमाल व अन्य 2013 RBJ 350

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.21 17:06:10 IST
Reason: SelfAttested

16.9.2020

सहायक कलेक्टर, सांचौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा उक्त निर्णयों में यह स्पष्ट किया है।

तहसीलदार सांचोर के अनुसार यह प्रकरण धारा 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत नहीं आता जबकि राजस्व मण्डल के परिपत्र दिनांक 20.12.1995 के अनुसार यदि सेटलमेंट के दौरान क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना कोई खातेदारी अथवा गैरखातेदारी भूमि सिवायचक राजकीय भूमि इन्द्राज कर दी गई हो तो संशोधन 1995 धारा 136 के बाद भी सही की जा सकती है।

हस्तगत प्रकरण में खसरा नं. 424 गलत सृजित किया गया एवं नया सृजित करने के साथ ही उसे गैरमुमकिन रास्ते के नाम से प्रार्थी की खातेदारी में भी रखा हैं इसलिए प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार करने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत 136 राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि खसरा नम्बर 424 रकबा 0.06 हेक्टेयर गैर मुमकिन रास्ता व खसरा नं. 425 रकबा 0.38 हेक्टेयर बंजड को एकीकृत कर नया खसरा नं. सृजित किया जावे जिसमें गैर मुमकिन रास्ता शब्द हटाया जाकर भूमि की किस्म वर्तमान अनुसार दर्ज की जावें।

निर्णय आज दिनांक 16.9.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सांचौर जिला जालोर सत्यमेव जयते

16.9.2020

(भूपेन्द्र कुमार यादव)
सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

पत्रावली फैसल शुमार होकर तथा नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhupendra Kumar Yadav
Date: 2020.09.21 17:06:10 IST
Reason: SelfAttested